संख्या-548 /स.क./ 2002

प्रेषक,

एस.के. मुटटू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

देहरादून : दिनांक 03 फरवरी, 2004

समाज कल्याण अनुभाग

विषयः संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में समाज कल्याण विभाग के अधिकारों एवं दायित्वों के संक्रमण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के लिये जनसामान्य के लाभ एवं विकास की योजनाओं के नियोजन को जनोन्मुखी बनाने एवं उनके सार्थक क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अतः विकास कार्यो में सक्रिय जनसहयोग प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ एवं प्रभावी बनाने का संकल्प लिया है। जिला, क्षेत्र एवं ग्राम स्तरीय प्रशासनिक इकाइयों को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी बनाना तथा इनके विकास संबधी दायित्वों को पूर्ण करने के लिए वांछित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उक्त क्रम में श्री राज्यपाल महोदय विभिन्न योजनाओं के निम्नानुसार क्रियान्वयन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- जिला पंचायतों को अधिकारों का संक्रमण

(1) वित्तीय अधिकारः-

1. विभिन्न योजनाओं में जिला योजना, राज्य सैक्टर/केन्द्र पोषित योजनाओ का बजट नियंत्रण तथा आवंटित बजट का उपयोग।
2. क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण एवं व्यय हेतु धनराशि मात्राकृत करना।
3. जिला योजना की प्राविधानित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु धनराशि मात्राकृत करना।
4. उक्तानुसार आवंटित धनराशि से क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों की मांग के अनुसार यथासम्भव जनसामान्य को लाभान्वित किए जाने हेतु कार्यवाही करना।
5. उपरोक्त विषय से संबंधित नये भवनों का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।

(2) पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक अधिकार :-

1. विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी होंगे।
2. जिला पंचायत की बैठकों में विभागीय कार्यों की प्रगति समीक्षा सुनिश्चित करना।
3. जनपद में संचालित विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी के आकस्मिक अवकाश जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। यदि स्वीकृत किए गये अवकाश के कारण अनुपस्थिति की अवधि तीन दिन से अधिक होती है तो जिला पंचायत लिक अधिकारी की नियुक्ति करते हुए शासन/निदेशालय को सूचित करेंगे।

5. वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि जिला पंचायत द्वारा दी जाएगी जिसके समीक्षा अध्यक्ष, जिला पंचायत करेंगे तथा स्वीकर्ता अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण होंगे।
6. यात्रा भ्रमण कार्यक्रम जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और वही यात्रा नियंत्रक अधिकारी भी होंगे।
7. विशिष्ट कारणों के अन्तर्गत जिले से बाहर स्थानान्तरण के लिए जिला पंचायत द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाएगा।

(3) दायित्व एवं कार्य :–

1. विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा इस हेतु सूचना का संग्रहण।
2. जिला स्तर पर गठित समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित जिला पंचायत सदस्य करेंगे।
3. राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार की नीति, निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

2– क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर अधिकारों का संक्रमण

(1) वित्तीय अधिकार :–

1. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा संस्तुत लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को स्वीकृति हेतु जिला पंचायतों को अग्रसारित किया जाना।
2. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला पंचायतों से स्वीकृति उपरान्त प्राप्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से जनसामान्य को लाभान्वित किया जाना।
3. क्षेत्र पंचायत में संचालित विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।

(2) पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक अधिकार : –

1. क्षेत्र पंचायत स्तर पर विभाग की परिसम्पत्तियों का नियंत्रण एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।
2. जिला स्तर से प्राप्त लक्ष्यों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. विकासखण्ड स्तरीय मासिक बैठकों में उपरोक्त योजनाओं की समीक्षा करना।
4. क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों की बैठकें व समीक्षा करना।
5. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों/ग्रामों में संचालित उपरोक्त योजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
6. योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा करना।
7. क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिक क्षेत्र पंचायत के नियंत्रणाधीन रहकर कार्य करेंगे।
8. सहायक समाज कल्याण अधिकारी के आकस्मिक अवकाश क्षेत्र पंचायत द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। यदि स्वीकृत किए गये अवकाश के कारण अनुपस्थिति की अवधि तीन दिन से अधिक होती है तो क्षेत्र पंचायत लिपिक अधिकारी की नियुक्ति करते हुए जिला पंचायत को सूचित करेंगे।
9. वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत द्वारा दी जाएगी जिसकी समीक्षा जिला समाज कल्याण अधिकारी करेंगे तथा स्वीकर्ता अध्यक्ष, जिला पंचायत होंगे।
10. यात्रा भ्रमण कार्यक्रम क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और वही यात्रा नियंत्रक अधिकारी भी होंगे।
11. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत तैनात विभागीय कार्मिकों के स्थानान्तरण की संस्तुति करने का भी अधिकार होगा।

(3) दायित्व एवं कार्य :–

1. क्षेत्र पंचायत स्तर पर विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा इस हेतु सूचना का संग्रहण।
2. क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः प्रमुख, क्षेत्र पंचायत अथवा उनके द्वारा नामित क्षेत्र पंचायत सदस्य करेंगे।
3. राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार की नीति, निर्देशों का कियान्वयन सुनिश्चित करना।

3– ग्राम पंचायतों को अधिकारों का संक्रमण

(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार :–

1. पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनके आवेदनपत्रों को क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को अग्रसारित करना।
2. जिला/क्षेत्र पंचायत से प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभों का संबंधित लाभार्थियों को वितरण करना।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन रहकर कार्य करेंगे।
4. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति का सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने पर ही उनका वेतन आहरण/भुगतान किया जाएगा।
5. संबंधित कर्मचारी के कार्यों के आधार पर वार्षिक प्रविष्टि हेतु ग्राम पंचायत स्तर की संबंधित समिति की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर संस्तुति देने का अधिकार।
6. संबंधित कर्मचारी को अवकाश, लघुदण्ड देने की संस्तुति का अधिकार।

(2) दायित्व एवं कार्य :

1. पात्र लाभार्थियों का चयन करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि पात्र लाभार्थी को ही स्वीकृति/भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार पंचायतों को दिये जा रहे अधिकारों एवं दायित्वों के संक्रमण के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय गतिविधियों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी विभागीय कर्मी शासन एवं निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल के प्रति भी उत्तरदायी रहेंगे तथा शासन व विभाग के सभी निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण का जो ढांचा स्थापित है, उसमें निहित उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ववत किया जायेगा।

भवदीय

(एस. के. मुटर्टू)
प्रमुख सचिव

संख्या 548 /स.क./2004 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी, उत्तरांचल।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

7. आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल।
11. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उत्तरांचल (द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी)।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल को इस आशय से कि शासनादेश की एक–एक प्रति अपने–अपने जनपदों के समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों की भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. पंचायती राज / नियोजन / वित्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के. एस. दरियाल)
अपर सचिव।